भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4941** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 मार्च**, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है

प्लोटिंग जेटी को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देश

†**4941. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:**

कुमारी गोड्डेति माधवी:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय तटरेखा के किनारे सभी तरह के उपयोग के लिए फ्लोटिंग जेटी/प्लेटफार्मो को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दिशानिर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानक निर्धारित किए हैं और मानक विनिर्देश विकसित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी, हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी महापत्तनों, राज्य समुद्री बोर्डों और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'संपूर्ण भारतीय तटरेखा पर विभिन्न उपयोगों के लिए फ्लोटिंग जेट्टियों/प्लेटफॉर्मो को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश' परिचालित किए है। इन दिशानिर्देशों में तटीय क्षेत्रों, नदीमुखों, जलमार्गों, नदियों और रिजर्वोयरों में मरीना, लघु बंदरगाहों, मत्स्यन बंदरगाहों, मत्स्यन लैंडिंग केंद्रों, वॉटरड्रोमों और ऐसी अन्य समान सुविधाओं के लिए फ्लोटिंग जेट्टियां/प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न तकनीकी पहलुओं को निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) और (घ): फ्लोटिंग जेट्टियों/प्लेटफॉर्मो के लिए दिशानिर्देश बनाते समय ऐसे कोई संगत भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं हैं जिनपर सीधे तौर पर भरोसा किया जा सके। तथापि, इन दिशानिर्देशों में मानक विनिर्देशों को विभिन्न देशों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी पद्धतियों के समान निर्दिष्ट किया गया है।

*****